बिहार सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांकः–

संख्या–3(स०)/उ०स्था०(मुकदमा)03/17–3664/श्री आनन्द कुमार बर्द्धन, उप निदेशक(तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय संकल्प संख्या–4184 दिनांक 06–09–2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(X) संशोधित नियमावली, 2007 के अधीन नियम–14(XI) के तहत सेवा से बर्खास्त करते हुये निलंबन अवधि के लिये जीवनयापन भत्ता ही देने का आदेश संसूचित किया गया।

उक्त आदेश के विरूद्ध श्री बर्द्धन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–7766/2017 दायर किया गया जिसमें दिनांक 18–05–2018 को माननीय न्यायालय द्वारा बर्खास्तगी संबंधी संकल्प संख्या–4184 दिनांक 06–09–2016 को निरस्त कर दिया।

विभाग द्वारा उक्त न्याय निर्णय के विरूद्ध एल0पी0ए0 दायर करने हेतु संचिका विधि विभाग, बिहार को पृष्ठांकित की गयी। विधि विभाग ने महाधिवक्ता, बिहार का परामर्श प्राप्त किया। इन्होंने एल0पी0ए0 दायर नहीं करने का परामर्श दिया।

अतः उक्त के आलोक में श्री आनन्द कुमार बर्द्धन, बर्खास्त उप निदेशक(तक0) के बर्खास्तगी संबंधी संकल्प संख्या–4184 दिनांक 06–09–2016 को निरस्त किया जाता है। फलस्वरूप निलम्बन अवधि कर्त्तव्य पर माना जायेगा। निलम्बन अवधि में दिया गया जीवन निर्वाह भत्ता को समायोजित करते हुए शेष राशि का भुगतान किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(अनिल कुमार झा)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– पटना, दिनांकः–
3(स०)/उ०स्था०(मुकदमा)03/2017

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0 में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 3664 पटना, दिनांकः– 27.8.18

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–श्री आनन्द कुमार बर्द्धन, 302, शुभम समृद्धि कम्पलेक्स, विश्ववेश्वरैया नगर, बेली रोड, नहर चौक, दानापुर, पटना–801503 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इस अधिसूचना के निर्गतोपरांत मुख्यालय में योगदान समर्पित करेंगे तत्पश्चात् पदस्थापन की कार्रवाई की जायेगी।

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, उद्योग के प्रधान आप्त सचिव/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/ उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
27/8/18

राकेश/27–08–18

D:\Section-3\Devesh\Devesh 3.doc